रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1984/आश्विन 9, 1906
No. 490] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1984/ASVINA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1984

धन-कर

का० आ० 758 (अ) :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये तारीख 1 अक्तूबर, 1984 से प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 में,—

(i) नियम 4 क में—

(क) उपनियम (1) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् "और उसमें उल्लिखित रीति में सत्यापित किया जाएगा"।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र और उससे संलग्न सत्यापन, उक्त आवेदन पत्र के उपाबंध और उपाबंध के साथ लगे हुए विवरण तथा दस्तावेजों पर धारा 15 क मे विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।" ;

(ii) नियम 4क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"मामले के समझौते के लिए आवेदन में जानकारी का प्रकटीकरण

4कक (1) समझौता आयोग धारा 22 घ की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त से कोई रिपोर्ट मंगाते समय, प्ररूप घ क में फाइल किए गए आवेदन की एक प्रति (उपाबंध और ऐसे उपाबंध से संलग्न अन्य विवरणों और अन्य दस्तावेजों से भिन्न) अग्रेषित कर सकेगा ;

(2) जहां धारा 22 घ की उपधारा (1) के अधीन, समझौता आयोग द्वारा किसी आवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की अनुज्ञा देने वाला आदेश किया जाता है, वहां प्ररूप घ क में आवेदन के उपाबंध में और ऐसे उपाबंध से संलग्न विवरणों और दस्तावेजों में अंतर्विष्ट जानकारी उक्त आदेश की प्रति के साथ आयुक्त को भेजी जाएगी।"

(iii) नियम 4 ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अपीलों की पुनरावृत्ति से बचना—

4ग (1) धारा 18ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप घ ख में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और सत्यापन पर धारा 15क में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा--

(क) उस मामले में जिसमें वह सहायक अपील आयुक्त या आयुक्त (अपील) को प्रस्तुत की जाती है, दो प्रतियों में होगी, और

(ख) उस मामले में जिसमें वह अपील अधिकरण को प्रस्तुत की जाती है, तीन प्रतियों में होगी।" ;

(iv) प्ररूप घ क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप घ क

(नियम 4क और 4कक देखें)

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22ग (1) के अधीन मामले के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप

समझौता आयोग ..... के समक्ष

*समझौता आवेदन सं० ..... 19 19

1. आवेदक का नाम और पता .....

2. स्थायी लेखा संख्यांक .....

3. प्रास्थिति (टिप्पण 4 देखें) .....

4. आयुक्त जिसकी अधिकारिता के अधीन आवेदक है .....

5. निर्धारण वर्ष जिसके (जिनके) संबंध में समझौतों के लिए आवेदन किया गया है .....

6. कार्यवाहियां जिनका संबंध समझौते के लिए आवेदन से है, वह तारीख जब से कार्यवाहियां लंबित हैं और वह धन-कर प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाहियां लंबित हैं (टिप्पण 6 देखें) ....

7. यदि अपील अधिकरण के समक्ष लंबित अपील 1 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् अपील वापस ले लिए जाने के लिए आवेदन किया गया है तो, वह तारीख उपदर्शित करें जिस तारीख को अपील अधिकरण ने अपील वापस लेने की अनुज्ञा देने का आदेश दिया था और उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। .....

8. उन विषयों की विशिष्टियां जिनके संबंध में समझौता होना है, मामले की प्रकृति और परिस्थितियां तथा अन्वेषण में अन्तर्वलित जटिलता (टिप्पण 7 देखें) .....

9. उस धन का पूर्ण और सही प्रकटीकरण जिसकी बाबत धन-कर अधिकारी के समक्ष पहले प्रकटीकरण नहीं किया गया है और वह रीति जिससे ऐसा धन प्राप्त किया गया है और ऐसे धन पर संदेय धन-कर की अतिरिक्त रकम (टिप्पण 9 और 10 देखें) .....

(उपाबंध देखें)

.....

हस्ताक्षर

(आवेदक)

सत्यापन

मैं ..... जो श्री ..... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं/ यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि ऊपर और उपाबंध में जिसके अन्तर्गत ऐसे उपाबंध के साथ विवरण और दस्तावेज भी हैं) जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं .....

(प्रवाभिधान)

की हैसियत में यह आवेदन दे रहा हूं और यह कि मैं इस आवेदन को करने और उसको सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख ..... को सत्यापित।

स्थान .....

.....

हस्ताक्षर (आवेदक)

टिप्पण :

1. समझौते के लिए आवेदन पांच प्रतियों में होगा।

2. समझौते के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस दी जानी चाहिए। यह फीस किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा की जानी चाहिए और समझौते के लिए आवेदन के साथ चालान तीन प्रतियों में समझौता आयोग को भेजा जाना चाहिए। समझौता आयोग चैक, ज्ञापन, हुण्डियां या अन्य पर क्राम्य लिखतें स्वीकार नहीं करेगा।

3. आवेदन का संख्यांक और वर्ष समझौता आयोग के कार्यालय में भरा जाएगा।

4. कृपया बताएं कि क्या व्यष्टि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या कोई कंपनी है।

5. यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए अलग कागज पर लिखकर उस कागज को इसके साथ लगाया जा सकता है।

6. कार्यवाहियों की दशा में निर्धारण उस धनकर अधिकारी/निरीक्षण सहायक आयुक्त (निर्धारण) का पदनाम उपदर्शित करें जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है साथ ही वह तारीख भी बताएं जब धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 14 (2) धारा 17 के अधीन सूचना दी गई है अथवा, यथास्थिति, वह तारीख बताएं जब उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन विवरणी फाइल की गई है। अपील कार्यवाहियों की दशा में उस अपीली प्राधिकारी का नाम बताएं जिसके समक्ष अपील फाइल की गई है और अपील फाइल करने की तारीख भी बताएं। पुनरीक्षण याचिका की दशा में पुनरीक्षण याचिका फाइल की जाने की तारीख बताएं और यह भी कि वह समय के भीतर फाइल की गई या नहीं।

7. मद सं० 8 के सामने उन विवादकों के ब्यौरे दें जिनके सम्बन्ध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है। मामले की प्रकृति और परिस्थितियां और उसमे अन्तर्गस्त अन्वेषण संबंधी जटिलताएं उपदर्शित करें। जहां आवेदन एक से अधिक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित है वहां प्रत्येक निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ये ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं।

8. किसी मामले के समझौते से सम्बन्धित आवेदन को आवेदक द्वारा वापस नहीं लेने दिया जाएगा।

9. मद 9 में निर्दिष्ट धन पर संदेय धन-कर की अतिरिक्त रकम की संगणना धारा 22 ग की उपधारा (1क) से (1घ) में अधिकथित रीति से की जानी चाहिएं।

10. मद 9 में निर्दिष्ट ब्यौरे इस आवेदन के उपाबन्ध में दिए गए हैं।

उपाबन्ध

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22ग (1) के अधीन विवरण जिसमें आवेदन की मद 9 में निर्दिष्ट ब्यौरे अन्तर्विष्ट है।

1. ऐसा धन जो धनकर अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया

2. उक्त धन-कर संदेय धनकर की अतिरिक्त राशि .....

3. समझौता किए जाने वाले विवाद्यकों के सम्बन्ध में तथ्यों की पूर्ण और सही विवरण जिसमें आवेदक द्वारा निवेदित समझौते के निबन्धन (शर्तें) भी सम्मिलित है।

4. वह रीति जिसमें मद सं० 1 में निर्दिष्ट धन प्राप्त किया गया है।

.....

हस्ताक्षर (आवेदक)

स्थान :

तारीख :

टिप्पण :—उपाबन्ध के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाने चाहिए :—

(1) ऐसे विवरण जिसमें उस / उन निर्धारण वर्ष/वर्षों के लिए, जिससे/जिनसे समझौते का आवेदन सम्बन्धित है, आवेदक के शुद्ध धन का संगणना, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, अन्तर्विष्ट होनी चाहिए ; और

(2) मूल्यांकन की तारीख को भारत में या भारत से बाहर स्थित आस्तियों (जंगम और स्थावर) और ऋणों के सम्बन्ध में ब्यौरे और विवरण ; और

(3) प्ररूप घ क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप घ ख

(नियम 4 ग देखें)

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18ग (1) के अधीन घोषणा ऐसे निर्धारिती द्वारा की जाएगी जो यह दावा करता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष समरूप विधि का प्रश्न लम्बित है

मैं ..... जो श्री
(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम)
.....का* पुत्र / की पुत्री / पत्नी हूं .....
.....का ..... होने के नाते
यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि :—

(1) ..... वित्तीय वर्ष की बाबत धारा 27 ..... धारा 29 के अधीन निदेश पर **उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय अपील पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष** मेरे मामले ..... के मामले में विधि का**/ के निम्नलिखित मामला/मामले लंबित है/हैं -

**मामले का कथन और उच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट विधि का/के प्रश्न को एक-एक उच्च न्यायालय का निर्णय और उच्चतम न्यायालय को अपील के आधार प्रति संलग्न है/हैं।

2. यह कि विधि का/के प्रश्न **मेरे मामले..... के मामले में उत्पन्न होने वाले विधि का/के प्रश्न के समरूप है/हैं जो ..... वित्तीय वर्ष की बाबत जो ..... ***के समक्ष लंबित है।

3. यह कि यदि ..... ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट मामले की, ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय लागू करने के लिए, सहमत हो जाता है तो **मैं/ऊपर पैरा 1 और 2 में उल्लिखित निर्धारिती, किसी अपील अधिकरण के समक्ष अपील में ऊपर पैरा (2) में निर्दिष्ट मामले में या धारा 27 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए या धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में उक्त विधि का/के प्रश्न पर प्रतिवाद नहीं करूंगा/करूंगी।

.....

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

स्थायी खाता सं० .....

निर्धारिती का पता .....

सत्यापन

मैं .....यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कथन है।

मैं यह और भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... की हैसियत में यह घोषणा कर रहा हूं और यह कि मैं यह घोषणा करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख .....को सत्यापित।

स्थान .....

.....

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. घोषणा, जब अपील सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील) को भेजी जाती है तब यह दो प्रतियों में होगी और जब यह अपील प्राधिकरण को भेजी जाती है तब यह तीन प्रतियों में होगी।

2. *जिस हैसियत में घोषणा और सत्यापन किया गया है वह उल्लिखित करें।

3. **जो लागू न हो उसे काट दें।

4. ***जिस अधिकारी या प्राधिकारी को घोषणा भेजी जा रही है उसका पदाभिधान उल्लिखित करें।

5. पूरा डाक पता दें। जहां घोषणाकर्ता निर्धारिती नहीं है वहां निर्धारिती का पूरा डाक पता भी दें।

[सं० 6012/142 फा० सं० (45)/84 टी पी एल]

वी० डी० वाखरकर, सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1984

WEALTH-TAX

S.O. 758(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1984.

2. In Wealth-tax Rules, 1957,—

(i) in rule 4A,—

(a) in sub-rule (1), the following words shall be added at the end, namely :—
"and shall be verified in the manner indicated therein.";
(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification appended thereto, the Annexure to the said application and the statements and documents accompanying the Annexure shall be signed by the person specified in section 15A.";

(ii) after rule 4A, the following rule shall be inserted, namely :—
"Disclosure of information in the application for settlement of cases.

4AA (1) The Settlement Commission may, while calling for a report from the Commissioner under sub-section (1) of section 22D, forward a copy of the application filed in Form DA (other than the Annexure and the statements and other documents accompanying such Annexure).

(2) Where an order under sub-section (1) of section 22D allowing the application to be proceeded with is made by the Settlement Commission, the information contained in the Annexure to the application in Form DA and in the statements and documents accompanying such Annexure shall be sent to the Commissioner along with a copy of the said order.";

(iii) after rule 4B, the following rule shall be inserted, namely :—

"Avoidance of Repetitive Appeals.—

4C. (1) The declaration referred to in sub-section (1) of section 18C shall be in Form DB and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) The declaration and the verification referred to in sub-rule (1) shall be signed by the person specified in section 15A.

(3) The declaration referred to in sub-rule (1) shall,—
(a) in a case where it is furnished to the Appellate Assistant Commissioner or the Commissioner (Appeals), be in duplicate, and

(b) in a case where it is furnished to the Appellate Tribunal, be in triplicate.";

(iv) for Form DA, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM DA

(See rules 4A and 4AA)

Form of application for settlement of case under section 22C(1) of the Wealth-tax Act, 1957

IN THE SETTLEMENT COMMISSION.....

*Settlement application No.....19.....19....

1. Full name and address of the applicant .....

2. Permanent Account Number .....

3. Status (see Note 4) .....

4. The Commissioner having jurisdiction over the applicant. .....

5. Assessment year(s) in connection with which the application for settlement is made. .....

6. Proceedings to which application for settlement relates, the date from which proceedings are pending and the wealth-tax authority before whom the proceedings are pending (see Note 6) .....

7. Where the application is made after withdrawing, before the 1st day of October, 1984, any appeal pending before the Appellate Tribunal, indicate the date of the order of the Appellate Tribunal permitting withdrawal of the appeal and attach a certified copy of the order. .....

8. Particulars of the issues to be settled, nature and circumstances of the case and complexities of investigation involved (see Note 7). .....

9. Full and true disclosure of wealth which has not been disclosed before the Wealth-tax Officer, the manner in which such wealth has been derived and the additional amount of wealth-tax payable on such wealth (see Notes 9 and 10) (See Annexure)

.....
Signed (Applicant)

VERIFICATION

I,..... son/daughter/wife of ...., do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, what is stated above and in the Annexure [including the statement(s) and documents accompanying such Annexure] is correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as.....and that I am
(designation)
competent to make this application and to verify it.
Verified today the.....day of.....19.....

Place..... .....
Signed (Applicant).

Notes :

1. The application for settlement must be in quintuplicate.

2. The application for settlement must be accompanied by a fee of five hundred rupees. The fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India and the triplicate challan sent to the Settlement Commission with the application for settlement. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

*3. The number and year of application will be filled in, in the office of the Settlement Commission.

4. Please state whether individual, Hindu undivided family, or a company.

5. If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.

6. In case of assessment proceedings, indicate the designation of the Wealth-tax Officer/Inspecting Assistant Commissioner (Assessment) before whom the proceedings are pending indicating also the date of service of notice under section 14(2)/section 17 of the Wealth-tax Act, 1957, or, as the case may be, the date of filing of the return under section 14 of the said Act. In case of appellate proceedings, indicate the appellate authority before whom the appeal is filed and the date of filing of the appeal. In case of revision petition, indicate the date of filing the revision petition and whether the same is filed within time or not.

7. Full details of issues for which application for settlement is made, the nature and circumstances of the case and complexities of the investigation involved must be indicated against item 8. Where the application relates to more than one assessment year these details should be furnished for each assessment year.

8. The application for settlement of a case shall not be allowed to be withdrawn by the applicant.

9. The additional amount of wealth-tax payable on the wealth referred to in item 9 should be calculated in the manner laid down in sub-section (1A) to (1D) of section 22C.

10. The details referred to in item 9 shall be given in the Annexure to this application.

ANNEXURE

STATEMENT CONTAINING PARTICULARS REFERRED TO IN ITEM 9 OF THE APPLICATION UNDER SECTION 22C(1) OF THE WEALTH-TAX ACT, 1957

1. Wealth which has not been disclosed before the Wealth-tax Officer. .....
2. Additional amount of wealth-tax payable on the said wealth .....
3. Full and true statement of facts regarding issues to be settled including the terms of settlement sought for by the applicant
4. The manner in which the wealth referred to in item No. 1 has been derived

Place : .....
Signed (Applicant)

Date :

Note : The Annexure should be accompanied by—

(i) a statement(s) containing computation of net wealth of the applicant for the assessment year or years to which the application for settlement relates, in accordance with the provisions of the Act; and

(ii) a detailed statement of assets (movable and immovable) and debts, located in India and outside, as on the valuation date.

(v) after Form DA, the following Form shall be inserted namely :—

"FORM DB

(See rule 4C)

Declaration under section 18C(1) of the Wealth-tax Act 1957 to be made by an assessee claiming that identical question of law is pending before the High Court or the Supreme Court.

I.....son/daughter /wife
(Name in full and block letters)
of Shri.....being the*.....
of.....do hereby declare :—

1. That the following question(s) of law**is/are pending in **my case/in the case of..... before the **High Court/Supreme Court on a reference under / Supreme Court on an appeal under section 27 / section 29 in respect of the assessment year.....

A copy of the statement of the case and the question(s) of law referred to the High Court/Supreme Court is/are enclosed.

**

A copy of the judgement of the High Court and grounds of appeal to the Supreme Court is/are enclosed.

2. That the said question(s) of law **is/are identical with the question(s) of law arising in **my case/in the case of..... .....in respect of the assessment year.....which is pending before***.....

3. That if the***.....agrees to apply to the case referred to in paragraph 2 above the final decision on the question of law in the case referred to in paragraph 1 above, **I/the assessee mentioned in paragraphs 1 and 2 above, shall not raise the said question(s) of law in the case referred to in paragraph 2 above in appeal before any appellate authority or for a reference before the High Court or the Supreme Court under section 27 or in appeal before the Supreme Court under section 29.

.....
Signature of the declarant
Permanent account No.....
Address of the assessee.....
.....

Verification

I,.....do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

I further declare that I am making the declaration in my capacity as.....and that I am competent to make this declaration and varify it.

Verified today, the.....day of.....19.....

Place.*..... .....
Signature of the declarant

Notes :

1. The declaration should be in duplicate when it is furnished to the Appellate Assistant Commissioner or the Commissioner (Appeals) and in triplicate when it is furnished to the Appellate Tribunal.
2. *Mention the capacity in which the declaration and verification is made.
3. **Delete whichever is not applicable.
4. ***Mention the designation of the officer or authority to whom or which the declaration is furnished.
5. Give complete postal address. Where the declarant is not the assessee, also give the complete postal address of the assessee."

[No. 6012/File No. 142(45)/84-TPL]
V.D. WAKHARKAR, Secy.
Central Board of Direct Taxes

916 GI/84—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984